



कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

रामगढ़, जिला-मुंगेली (छ.ग.) 495334

क्रमांक/स्था./मुचिअ/2021/ 3875

मुंगेली दिनांक 12/07/2021

// सूचना //

विषय :- संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़ अंतर्गत ऑनलाईन आवेदन के आधार पर प्राप्त मितानिन के आरक्षित पदों पर ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक, "महिला" / बहुदेशीय कार्यकर्ता महिला के रिक्त पदों पर नियमित भर्ती हेतु सीमित विभागीय परीक्षा के प्राप्तांकों की अनंतिम मेरिट सूची जारी करने एवं मूल दस्तावेजों का सत्यापन बाबत।

--00--

संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें छत्तीसगढ़, इन्द्रावती भवन, तृतीय तल, नया रायपुर के द्वारा प्रकाशित विज्ञापन क्रमांक / स्थापना नर्सिंग /.../ 170 / 2021 / 229 / नवा रायपुर, दिनांक 09.03.2021 के तहत जिला मुंगेली के लिए मितानिन के लिए आरक्षित पदों पर सीधी भर्ती सीमित विभागीय परीक्षा के माध्यम से रिक्त पद पर ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक, "महिला" / बहुदेशीय कार्यकर्ता महिला के कुल 08 रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया, जिसके तहत योग्य अभ्यर्थियों से विभागीय वेबसाईट www.cghealth.nic.in में दिनांक 10.03.2021 से 31.03.2021 तक कार्यालयीन समय शाम 05:00 बजे तक ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किया गया था। संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़, इन्द्रावती भवन, तृतीय तल, नया रायपुर के सूचना पत्र क्रमांक/03 / नर्सिंग स्था/ 170 / 2021 / 498 (A) अटल नगर, दिनांक 17.06.2021 के द्वारा विज्ञापन की कंडिका 26 अनुसार सीमित विभागीय परीक्षा दिनांक 27 जून 2021 को स्थान - आगर सभा कक्ष, कलेक्टोरेट परिसर मुंगेली, जिला मुंगेली (छ.ग.) में आयोजित करने के उपरांत परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार अनंतिम मेरिट सूची जारी किया गया है।

ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक, "महिला" / बहुदेशीय कार्यकर्ता महिला के नियमित नियुक्ति हेतु विज्ञापन की कंडिका 21 अनुसार अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा न्यूनतम 33 प्रतिशत अर्हकारी अंक एवं आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा न्यूनतम 23 प्रतिशत अर्हकारी अंक प्राप्त अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेजों से मिलान किये जाने हेतु दिनांक 19, एवं 20.07.2021 को प्रातः 11:00 से 05:00 बजे तक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रामगढ़, जिला मुंगेली (छ.ग.) में संबंधित अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेजों का सत्यापन किया जायेगा। जिसकी विस्तृत जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र	दिनांक	समय (कार्यालयीन)	अनंतिम मेरिट में स.क्र...से तक
1	19.07.2021	प्रातः 11:00 से 5:30 बजे तक	स.क्र.01 से 20 तक
2	20.07.2021	प्रातः 11:00 से 5:30 बजे तक	स.क्र.21 से 31 तक

P.T.O. 22

//2//

समस्त संबंधित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि, दस्तावेज सत्यापन के दिन दस्तावेजों के मूल प्रति के साथ समस्त दस्तावेजों की 01 प्रतियों (एक सेट) में स्वप्रमाणित छायाप्रति लाना अनिवार्य है।

- अभ्यर्थी अनिवार्य रूप मूल दस्तावेज एवं छायाप्रति को निम्न क्रम में व्यवस्थित कर प्रस्तुत करेंगे :-
1. हाई स्कूल प्रमाण पत्र सह अंकसूची।
 2. हायर सेकेण्डरी प्रमाण पत्र सह अंकसूची।
 3. ए.एन.एम. प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की अंकसूची एवं प्रमाण पत्र ।
 4. छ.ग. नर्सिंग कौंसिल में जीवित पंजीयन की प्रमाण पत्र ।
 5. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र (आरक्षित वर्ग के होने पर)
 6. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी छ.ग. के मूल निवास प्रमाण पत्र ।
 7. छ.ग. राज्य अंतर्गत मितानिन के रूप में 5 वर्ष का अबाधित (निरंतर) रूप से कार्यरत होने के संबंध में राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र (SHRC) द्वारा जारी प्रमाण पत्र ।
 8. ऑनलाईन आवेदन की हस्ताक्षरित प्रति
 9. दिनांक 27.06.2021 को आयोजित सीमित विभागीय परीक्षा के समय केन्द्राध्यक्ष द्वारा मुद्रा हस्ताक्षरित प्रवेश पत्र
 10. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र (विकलांग वर्ग के होने पर)
 11. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र (भूतपूर्व सैनिक होने पर)
 12. दिनांक 27.06.2021 को आयोजित सीमित विभागीय परीक्षा के समय प्रस्तुत स्वयं का कोई पहचान पत्र (पेन कार्ड / आधार कार्ड / ड्राईविंग लायसेंस / मतदाता परिचय पत्र या राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी अन्य कोई फोटोयुक्त पहचान पत्र)

किसी भी अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर दस्तावेज सत्यापन के समय उपरोक्तानुसार मूल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो उन्हें उक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु पृथक से अतिरिक्त समय नहीं दिया जावेगा।

प्रशिक्षित मितानिनों के लिए आरक्षित पदों पर सीमित विभागीय परीक्षा दिनांक 27 जून 2021 को आयोजित परीक्षा की प्राप्तांकों की अनंतिम मेरिट सूची एवं दस्तावेज सत्यापन के लिए आमंत्रित किए गये अभ्यर्थियों की सूची कार्यालयीन सूचना पटल पर चस्पा किया गया है साथ ही विस्तृत जानकारी के लिए जिले के वेबसाइट www.mungeli.gov.in तथा विभागीय वेबसाइट www.cghealth.nic.in में अवलोकन किया जा सकता है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला मुंगेली (छ.ग.)
19/7/21